...ायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 17 /2021 तारीखरजू:– 21-1-21

उनवान:– मिश्रीलाल बनाम सुरेश वगै0

दावा वावत इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
...1/21	वादीया की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 25.02.2021 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	292-302 21-1-21
25.2.21	वादी वकील उप० प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 10 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3, 4, 11 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी नं. 5, 6 के फौत हो जाने एवं 7, 8, 9 के ससुराल में होने की रिपोर्ट से सम्मन वापिस प्राप्त हुए है P.O. साहब कानून व्यवस्था में पधारे है दिनांक 4.3.21 को पेश हो।	
4.3.21	वकलाय उप० प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 10 का जबावदावा पेश किया। दस्तावेज पेश किये। शामिल किये गये। जबाव की प्रति दिलाई। प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 11 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वादी वकील प्रतिवादी नम्बर 5, 6 बावत प्रार्थना पत्र कायममुकाम एवं प्रतिवादी नम्बर 7, 8, 9 के सम्मन तलबाना मय एवं पूर्ण पते पर रजि० AD पेश करे। पत्रावली दि० 8.3.21 को पेश हो।	
8.3.21	अवकाश घोषित	
?.3.21	पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 15.3.21 को पेश हो।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला कर

दिनांक	फर्द अहकाम
15.3.21	वकुलाय उप०/गतानुसार प्रार्थना पत्र कायम मुकाम, तलबाना प्रतिवादी 7, 8) पेश करें / दि० 25.3.21 को पेश हो।
25-3-21	पक्षकाय उपस्थित / वकील प्रतिवादी ने धारा 11 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र पेश किया नकल वादी वकील को दिलाई गई / वादी जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 5-4-21 को पेश हो /
5.4.21	वकुलाय उप०/गतानुसार जवाब प्रा० पत्र पेश करने दि० 6.5.21 को पेश हो।
29.7.21	पत्रावली लॉकडाउन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई / वकील उभय पक्ष उपस्थित / वादी वकील ने प्रार्थना पत्र धारा 11 जाब्ता दीवानी का जवाब पेश किया / जवाब शामिल कर प्रतिवादी वकील को नकल दिलाई गई / प्रतिवादी वकील ने बहस प्रारम्भ की / प्रार्थना पत्र धारा 11 जाब्ता दीवानी मे वर्णित तथ्यो को दोहराया कि वादी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत घोषणा खातेदारी, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद राजस्व लोक अदालत में दि० 24.6.2016 को खारिज हो चुका है। वादी द्वारा इस निर्णय की अपील पेश नहीं की है। उस निर्णित मुकदमें मे वर्णित खसरा नम्बरान का पुनः नया दावा पेश कर दिया है इस प्रकार धारा 11 के तहत यह दावा चलने योग्य नही है। रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। वादी ने अब इस नये दावा मे जयफूल के पुत्र सुरेश

कार्यालय उपजिला ... टोडाभीम (करौली) राज०

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

कार्यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

को पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र के जवाब मे प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों का जवाब नहीं देकर अलग ही तथ्य दर्ज कर दिये हैं वादी द्वारा चाही गई Relief स्वीकार न की जाकर दावा खारिज किया जावे।
अप्रार्थी / वादी वकील ने प्रार्थना पत्र के जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि लोक अदालत में पक्षकार कोई बुलाये नहीं गये। धारा 11 के प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र पेश नहीं किया गया है प्रार्थना पत्र सही पेश नहीं किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 11 खारिज किया जावे।

विद्वान उभयपक्ष वकीलों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी मिश्रीलाल ने एक दावा मुकदमा नं. 3/15 तारीख रजू 3.2.2015 उनवानी मिश्रीलाल-बनाम जयफूल वगैरा इस्तकरारहक, तकास्मा, स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट खोहरा में दिनाँक 24.6.2016 को वादी मिश्रीलाल एवं प्रतिवादी जयफूल की उपस्थिति में खसरा नम्बर 991 रकबा 8 एयर किस्म गैर मु. चार का बंटवारा संभव नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। वादी मिश्रीलाल ने पुनः इसी खसरा नम्बर 991 रकबा 8 एयर का इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का सुरेश पुत्र जयफूल एवं अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर शामिल इस दस्तावेज से प्रमाणित पाया जाता है कि वादी मिश्रीलाल ने ग्राम खोहरा के खसरा नम्बर 991 रकबा 8 एयर

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो[डाभीम]

दिनांक	फर्द अहकाम
	का मुकदमा न्यायालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम में दिनांक 3.2.2015 को प्रस्तुत किया था तथा वादी मिश्रीलाल प्रतिवादी जयफूल की उपस्थिति राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ... में दिनांक 24.6.2016 को खारिज हुआ है। इस प्र... वादी द्वारा इसी खसरा नम्बर को लेकर इसी न्यायाल... में पुनः नया दावा प्रस्तुत किया है जो कि रेस ज्यू... केटा के अन्तर्गत आता है। प्रकरण में रेस ज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होने के कारण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य पाये जाने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।
	29/7/21
	(दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज.